राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 13.07.2020 से 17.07.2020 तक "इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज" विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन किया गया। अकादमी के निदेशक श्री राजीव शर्मा, आई. पी. एस., अतिरिक्त महानिरीक्षक पुलिस के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसमें 04 पुलिस निरीक्षक एवं 12 उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री गिरवर सिंह आर टी एस (सेवानिवृत) ने द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (TPA), पावर ऑफ अटॉर्नी, वसीयत, रिकॉर्ड और संबंधित विवादों से छेड़छाड़ तथा भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच - डबल पट्टा, जाली समझौते आदि विषयों को विस्तारपूर्वक समझाया। तृतीय सत्र में श्री शरद कुमार, Asst. Director ED, Jaipur ने विभिन्न और प्रवर्तन एजेंसियों का परिचय REIC, DRI, SDRI, FIU, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियमों की रोकथाम, जिसमें बेनामी संपत्ति के मामलों में बैंक खाते की संपत्ति की कुर्की और ED की भूमिका, पुलिस द्वारा ED को हस्तांतरित मामले की जांच का केस अध्ययन शामिल है।

द्वितीय दिवस के प्रथम सत्र में श्री शेखर सिंह, साइबर एक्सपर्ट एचडीएफसी बैंक, जयपुर ने हाल के ऑनलाइन बैंकिंग अपराध, और उनकी रोकथाम, और जांच को विस्तृत रूप से समझाया। द्वितीय सत्र में श्रीमती सुमन राव पी. ओ. आर.पी.ए. जयपुर ने विशेष आर्थिक अपराधों में अभियोजन पक्ष के लिए विशेष संदर्भ के साथ 406,420,467,468,471,120 बी आई.पी.सी. और महत्वपूर्ण केस कानून को समझाया तथा तृतीय सत्र में श्री पृथ्वीराज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ए.सी.बी.), जयपुर ने नवीनतम संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 को समझाया।

तृतीय दिवस के प्रथम सत्र में श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण और कल्याण राजस्थान, जयपुर ने आर्थिक अपराधों की केस स्टडी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। द्वितीय सत्र में श्री आर.एस.शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने दस्तावेज़ परीक्षा, विवादित लिखावट, हस्ताक्षर और दस्तावेजों की पहचान के संबंध में व्याख्यान दिया। तृतीय सत्र में श्री विवेक प्रियदर्शी, IPS, S.P.CBI, जयपुर ने आर्थिक धोखाधड़ी में कंपनियों की देयता- केस स्टडी एवं पुलिस की भूमिका क्या हैं को समझाया।

चतुर्थ दिवस के प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री आर एस बत्रा, आरएएस (सेवानिवृत्त), ने जांच के अनुसरण में भूमि कानूनों और राजस्व रिकॉर्ड की मूल बातें एवं विभिन्न शाखाओं में भूमि अभिलेखों का रख-रखाव और भूमि अभिलेख द्वारा साक्ष्य एकत्र करने की कला की जानकारी प्रदान की। तृतीय सत्र में श्री परमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्यों के संग्रह के संबंध में व्याख्यान दिया।

कोर्स के अन्तिम दिवस को प्रथम व द्वितीय सत्र में श्री राजेश दुरेजा पुलिस निरीक्षक, ए.सी.बी., जयपुर ने मोबाइल और कंप्यूटर से आर्थिक अपराध एवं इनकी केस स्टडी की मदद से मामलों की जांच कैसे की जा सकती है को समझाया।

कोर्स के समापन सत्र में श्री हेमंत प्रियदर्शी, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुनर्गठन एवं नियम, राजस्थान, पुलिस मुख्यालय, जयपुर ने कोर्स को संबोधित किया व प्रतिभागियो को प्रमाण-पत्र वितरित कर कोर्स का समापन किया।

(नन्दलाल)
कोर्स प्रभारी
पुलिस उप अधीक्षक
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।